SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the Court of .... Magistrate श्रीमती विकसिता मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वाह Case No. of /2022 Complaint or report made on Name and address of the complainant म.प्र. शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बड़वाह

Name, parentage, caste and address of accused

[illegible]

The offence complained of, and date of, its alleged commission

तुम्हारे विरूद्ध अभियोग है कि दिनांक 28/08/22 को स्थान [illegible] पर 17/30 बजे पुलिस अधिकारी द्वारा चेक करने पर तुम अभियुक्त के आधिपत्य से [illegible] जप्त की गयी।

अतः तुम्हारा कृत्य धारा 34 ए. आबकारी विधान के तहत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

अतः प्रकट करो कि तुम्हें अपराध स्वीकार है अथवा विचारण चाहते हो।

(श्रीमती विकसिता मरकाम) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वाह, म.प्र.

The plea of the accused and his examination (if any)

मुझे अपराध स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार है।

[illegible]

(श्रीमती विकसिता मरकाम) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

The offence proved, if any, and in case under clause (d), clause (e) clause (f) or clause (g) or Sub-section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.